राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2403 / 2024

मोहम्मद वसीम

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, चित्तौड़गढ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुंगाना कपासन, जिला चित्तौड़गढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 30.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति शारीरिक शिक्षक के पद पर जून, 2016 में हुई थी। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 08.06.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया अपीलार्थी ने एन.एस.–एनआईएस पटियाला से 6 सप्ताह कोचिंग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। जिसकी प्रायोगिक कक्षाओं के लिए अपीलार्थी को दिनांक 18.06.2024 से दिनांक 04.07.2024 तक करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन किया। जिस पर प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 10.06.2024 को अपीलार्थी को उक्त स्वीकृति जारी की। प्रत्यर्थी सं. 2 ने दिनांक 15.04.2022 को सभी संयुक्त निदेशक व समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश जारी किये कि नेताजी सुभाष चन्द्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला से शिक्षा विभाग में कार्यरत् शारीरिक शिक्षकों को खेल विशेष में एक वर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग एनआईएस प्रशिक्षण करवाने हेतु भिजवाया जाना है। इस संबंध में अधीनस्थ कोई भी शारीरिक शिक्षक उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहे तो संबंधित शारीरिक शिक्षक नेताजी सुभाष चन्द्र

राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान को आवश्यक राशि भेजकर वहां से आवेदन पत्र व दिशा निर्देश प्राप्त कर उक्त आवेदन पत्र ऑन–लाईन भरकर उसकी रसीद संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित करवाकर इस कार्यालय को प्रेषित करने पर ही विभाग द्वारा कार्मिक को पूर्ण वेतन पर प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। कार्मिक के प्रशिक्षण हेतु अंतिम चयन से पूर्व की समस्त अनुमति संबंधित नियुक्ति अधिकारी के द्वारा प्रदान की जायेगी। उक्त निर्देशों की पालना में अपीलार्थी ने ऑन–लाईन बॉक्सिंग में फीस जमा कराते हुए आवेदन किया। जिसके आधार पर अपीलार्थी को टेस्ट के लिए बुलाया गया, जिसमें अपीलार्थी सफल हुआ तथा अपीलार्थी के सफल होने के पश्चात् दिनांक 15.07.2024 को दस्तावेज सत्यापन व फिजीकल टेस्ट हेतु बुलाया गया, जिसमें अपीलार्थी उत्तीर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी ने उक्त कोर्स के लिए 59,800/– रुपये जमा करा दिये तथा उक्त प्रशिक्षण हेतु कक्षायें आरंभ हो गई। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक कोई भी आरोप पत्र जारी नहीं किया है। अपीलार्थी ने उक्त कोर्स में जाने हेतु प्रत्यर्थीगण को दिनांक 12.07.2024 को अनापत्ति प्रमाण पत्र व स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसको जिला शिक्षा अधिकारी ने उपनिदेशक महोदय खेलकूद, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित किया। जिसको उपनिदेशक महोदय ने दिनांक 23.07.2024 को पत्र लिखते हुए अवगत कराया कि आप स्वयं नियुक्ति अधिकारी है तथा निर्णय लेने हेतु सक्षम है। उक्त तथ्यों के बावजूद प्रत्यर्थी सं. 3 ने आलौच्य आदेश दिनांक 24.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी को उक्त कोर्स के लिए कार्यमुक्त नहीं करने के आदेश जारी किये है। जो अवैध व अनुचित है तथा विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को बिना किसी उचित कारणों के आलोच्य आदेश के द्वारा पाठ्यक्रम में नहीं भेजा जा रहा है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के निर्देशानुसार ही पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिये आवेदन किया था। पाठ्यक्रम में चयन होने के पश्चात भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी की ओर से यह भी प्रार्थना की गयी है कि प्रत्यर्थी विभाग को अन्तरिम रूप से निर्देश दिये जाएं कि वह अपीलार्थी को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिये कार्यमुक्त करें।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध गंभीर प्रकार का आरोप है, जो महिला उत्पीडन की शिकायत के सम्बन्ध में है। प्राथमिक जांच में अपीलार्थी दोषी पाया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी है। अतः इस आधार पर अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिये अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किये जाने का आदेश प्रशासनिक आदेश है। अधिकरण द्वारा प्रशासनिक आदेश में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है, जब आदेश विधि विरूद्ध या दुर्भावनापूर्ण पारित किया गया हो। अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किये जाने का आधार अपीलार्थी के विरूद्ध महिला उत्पीड़न के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित होना पाया है। ऐसे में आलोच्य आदेश में दुर्भावना होना प्रकट नहीं होता है। यह भी प्रकट नहीं होता है कि आलोच्य आदेश पारित करने का आधार नहीं है।
5. परिणामस्वरूप हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)